


06/02/20

पत्रावली पेश हुई, पार्टी के वकील व  
पार्टी को कई बार आवाज लगाई गई  
किन्तु उपस्थित अदालत नहीं आई (रैली  
स्थान में पार्टी की प्राथमिक पत्र मान्यता  
बाकत अवमानना 09-R.3 CPC के तहत  
अदम हाजिरी व अदम पैरवी में इसी Stage  
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फिल  
शुभ्राट लोक बाद नक़्सील दाख़ हो।

  
जिला कलेक्टर  
भरतपुर (राज०)

